बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
।। अधिसूचना ।।

संख्या–11/न०वि०/गठन–04/2025 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार पटना के पत्रांक 1587 दिनांक 16.04.2026 द्वारा सूचित किया गया है कि बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा–6 के तहत नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा नगर पंचायत, मधुबन, जम्होर एवं मदनपुर का गठन के फलस्वरूप बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 12 (8) के अधीन 06 माह के भीतर चुनाव कराया जाना है।

2. बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 12(9) में प्रावधान है कि किसी नगरपालिका का आम निर्वाचन कराना संभव न हो तो उक्त अवधि के अवसान पर वह नगरपालिका भंग हो जायेगी और इस अधिनियम के अधीन उस नगरपालिका हेतु एक प्रशासक नियुक्त किया जायेगा।

3. उक्त परिप्रेक्ष्य में बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 12(9) के प्रावधान के आलोक में नगर पंचायत, मधुबन, जम्होर एवं मदनपुर में एक प्रशासक नियुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

4. अतएव राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना के अनुरोध के आलोक में बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 12(9) के प्रावधानानुसार नगर पंचायत, मधुबन, जम्होर एवं मदनपुर में निहित सभी शक्ति और कृत्यों का प्रयोग या संपादन हेतु संबंधित नगर निकाय के कार्यपालक पदाधिकारी को उक्त नगर निकाय का प्रशासक नियुक्त किया जाता है।

5. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(रणविजय कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक– 11/न०वि०/गठन–04/2025 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग, गजट शाखा, बिहार, पटना को सी०डी० के साथ बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

ह0/–

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक– 11/न०वि०/गठन–04/2025 1903 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–18/05/26

प्रतिलिपिः– सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक 1587 दिनांक 16.04.2026 के आलोक में/जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका), पूर्वी चम्पारण एवं औरंगाबाद/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मधुबन, जम्होर एवं मदनपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Kumar
18.05.2026

सरकार के अवर सचिव।